न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 09/2024 GCMS 2024/16

वादी :–

1. चेतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति सोलंकी राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. कल्याणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. रामसिंह पुत्र मदनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. अजयसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. महदीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. हेमेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
6. गजराज कंवर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा– बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :–श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 15/04/2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/753 दिनॉक 09.04.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.04.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 18.03.2024 को प्राथमिक डिंक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

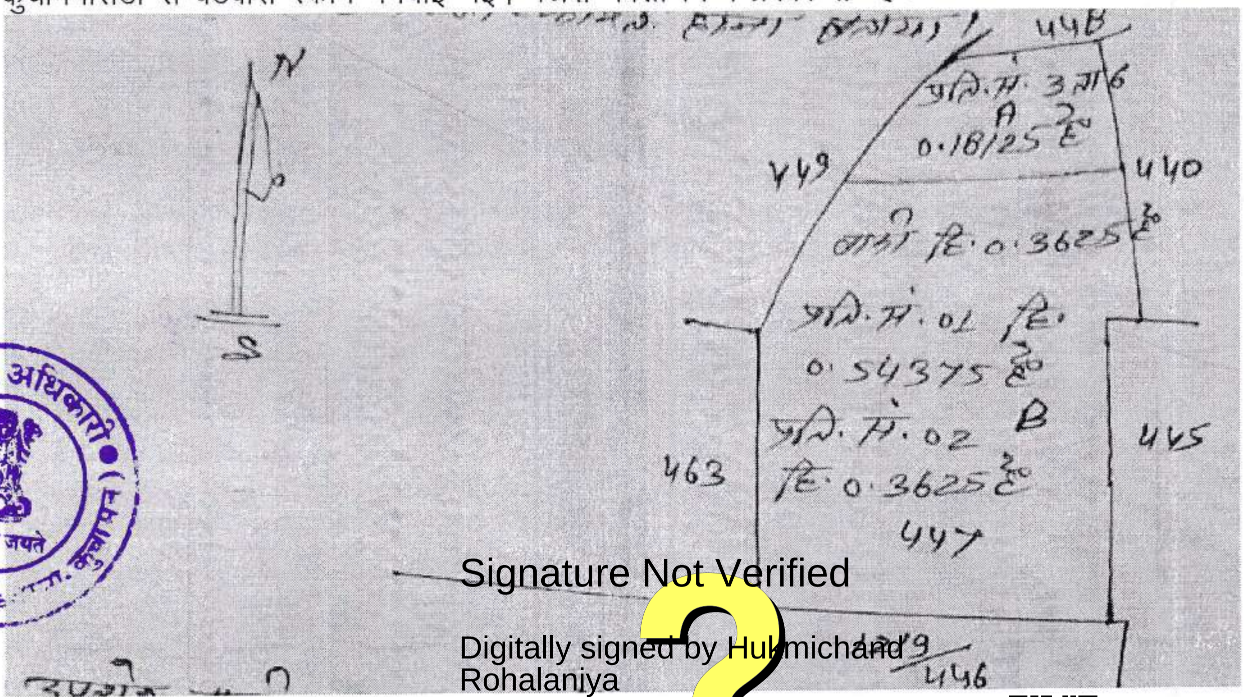

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा–टोरडा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 447 रकबा 1.45 हैक्टर में नजरी नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अनुसार मौका रिपोर्ट में उपस्थित पक्षकारान बताये अनुसार मार्क बिन्दू **A** रकबा 0.18125 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का तथा मार्क बिन्दू **B** रकबा 1.26875 हैक्टर पर वादी हिस्सा 0.3625 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 0.54375 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 0.3625 हैक्टर का संयुक्त कब्जा काश्त है, उपस्थित ने बताया कि उक्तानुसार ही वे सहखातेदार जोत विभाजन करवाना चाहते है। वादी का कब्जा काश्त नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा–टोरडा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 447 रकबा 1.45 हैक्टर पर नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दू **A** रकबा 0.18125 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का तथा मार्क बिन्दू **B** रकबा 1.26875 हैक्टर पर वादी हिस्सा 0.3625 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 0.54375 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 0.3625 हैक्टर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.04.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 15/04/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास : हुक्मीचन्द रोहलानिया,(R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :– 09/2024 GCMS 2024/16

वादी :–

1. चेतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति सोलंकी राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. कल्याणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
2. रामसिंह पुत्र मदनसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
3. अजयसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
4. महदीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
5. हेमेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
6. गजराज कंवर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी मदनमोहनपुरा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा– बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा–टोरडा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 447 रकबा 1.45 हैक्टर पर नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दू A रकबा 0.18125 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का तथा मार्क बिन्दू B रकबा1.26875 हैक्टर पर वादी हिस्सा 0.3625 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 0.54375 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 0.3625 हैक्टर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.04.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 04 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुद्दई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 16:28:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/85 दिनॉकः– 16.04.2024

प्रेषित :– 1. तहसीलदार, कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 09/2024 **GCMS 2024/16** चेतनसिंह बनाम कल्याणसिंह वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 09/2024 **GCMS 2024/16** चेतनसिंह बनाम कल्याणसिंह वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

भीम BHIM

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

क्रमांक/भू–अ./2024/753 दिनांक :– 09-04-2024

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 09/2024 चेतनसिंह बनाम कल्याणसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/2024/59 दिनांक 18.03.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2024 चेतनसिंह बनाम कल्याणसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष, भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का रूपपुरा–टोरडा की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(विभाजन प्रस्ताव)

मैं महेन्द्रसिंह मुंड.........(नाम) तहसीलदार कु. सिद्धी, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु. सिद्धी... के आदेश कमांक/ किशे/2024/59 दिनांक /18.3.24 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 5/4/24 समय 4.30 pm बजे आराजी खसरा नम्बर–447... वाके ग्राम ठोरडा..... पटवार हल्का कपुरा........ पर श्री दुर्गाराम..., सम्पतसिंह नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी ...... में विचाराधीन प्रकरण संख्या–...09/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी	
1.	रामसिंह	श्री मदनसिंह		राजपूत	प्रति. सं. 02	9413928021
2	कल्याणसिंह	अमरसिंह		~	प्रति. सं. 01	7221095263
3.	शैतानसिंह	मदनसिंह		~	वादी	9587808082

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

— पृष्ठ पीछे अंकित नक्शे नकशानुसार —

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

शैतानसिंह (गिरिराज) रामसिंह Kalyansingh (नरेन्द्रसिंह) LRकु. सिटी भू. अभि. नि.

— लगातार — (2)

मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरानों ने ग्राम धोरड़ा के ख.नं. 447 रकबा 1.45 है० पर वादीगण प्रतिवादीगण का निम्न नजरीनक्शानुसार कब्जा-काश्त होना बताया।

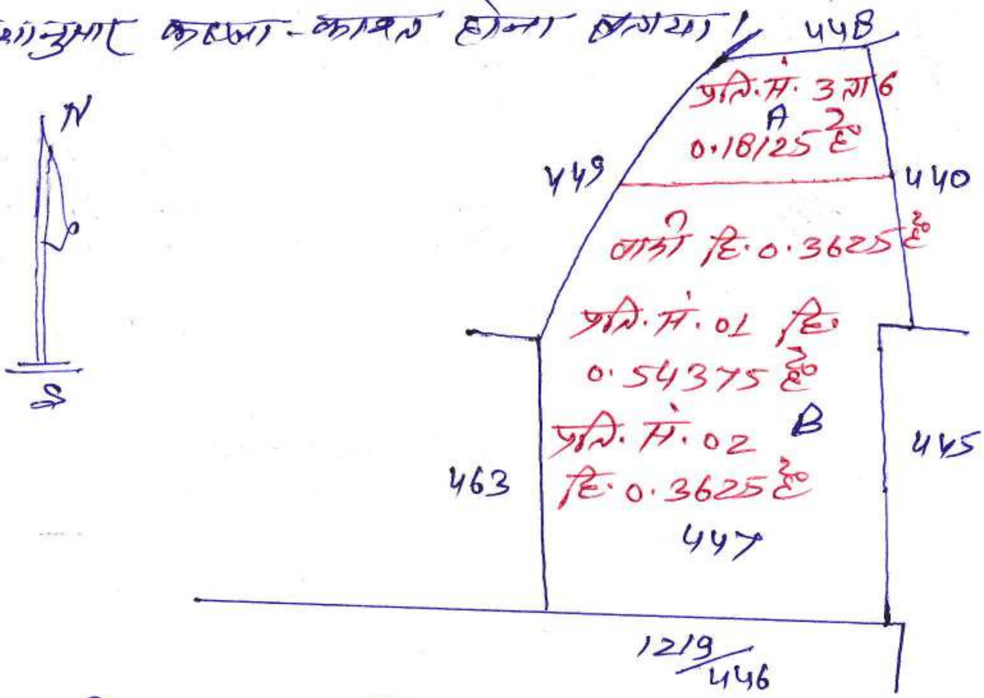

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान ने बताया कि मार्क बिन्दु A रकबा 0.18125 है पर प्रतिवादी सं. 3 ता 6 का तथा मार्क बिन्दु B रकबा 1.26875 है पर वादी हि. 0.3625 है०, प्रति सं. 01 हि. 0.54375 है०, प्रति सं. 02 हि. 0.3625 है० का संयुक्त कब्जा काश्त है। उपस्थित ने बताया कि उक्तानुसार ही हम सहखातेदार [illegible] विभाजन करवाना चाहते है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.नं. 447 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश दर्ज नहीं है। माननीय न्यायालय आदेशानुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

Kalyansingh

चेतन सिंह

(नरेन्द्र सिंह)

5/4/2024

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	रामसिंह	S/o श्री मदनसिंह	राजपूत	रामसिंह	प्रति.सं. 02
2.	कल्याणसिंह	" अमरसिंह	"	Kalyansingh	प्र.सं. 01
3.	चैनसिंह	" मदनसिंह	"	चैनसिंह	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1.	गिरिराज शर्मा	S/o श्री रामगोपाल शर्मा			8209872090	[signature]
2.	नरेन्द्रसिंह	S/o " संग्रामसिंह		राजपूत	9461446646	[signature]

इस प्रकार आज दिनांक 05/4/24 को यह [illegible] तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.08.07 15:28:59 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. [illegible]	वृत कु. सिटी	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी